न्यायालय ए०सी०जे०एम० प्रथम, सहारनपुर।

राज्य बनाम समीर

धारा–69 बी०एन०एस०

थाना–बेहट, सहारनपुर।

मु.अ.संख्या–169/2026

27.04.2026

मुकदमा अपराध संख्या–169/2026, धारा–69 बी०एन०एस०, थाना बेहट, जिला सहारनपुर के अपराध के सम्बन्ध में प्रार्थी/अभियुक्त **समीर** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, उसे दौरान वाद जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गई।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी निर्दोष है, उसे झूठा फसांया गया है। प्रार्थी जामीनान पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र पर जमानत का विरोध किया गया है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त दिनांक 23.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रकृति के, अजमानतीय तथा माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। अतः अभियुक्त पर लगाये गये आरोपों एवं मामलें के समस्त तथ्यों एवं परस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर छोड़े जाने के पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम,

सहारनपुर।